

राजस्थान सरकार
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान जयपुर


क्रमांक:- एफ-20 (I-49)/ IWMP/निजभूस/2012-13/4056-4105 दिनांक: 30/7/2013

समस्त परियोजना प्रबन्धक (WCDC) एवं
अधिकाधी अभियन्ता (भू संसाधन)
जिला परिषद.....।

विषय:-गुणवत्तापूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने के काम में।

भारत सरकार द्वारा जारी कॉमन गाईडलाईन 2008 के दिशा निर्देशों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने में सहभागी ग्रामीण अभ्यास (PRA) की वीडियोग्राफी करवाई जाये तथा आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए विभिन्न तकनीकों जैसे थीमेटिक लेयर्स, जी0आई0एस0 तकनीकी, आदि का उपयोग भी किया जावे।


यह भी निर्देशित किया जाता है कि जलग्रहण उपसमिति एवं जलग्रहण विकास दल के सदस्यों को स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) की प्रतियां हिन्दी में उपलब्ध करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जावे तथा इन आदेशों की पालना रिपोर्ट एक माह में प्रेषित करें।


23-7-13
(एम.एस. काला)
निदेशक

क्रमांक:- एफ-20 (I-49)/ IWMP/निजभूस/2012-13/4057-4105 दिनांक: 30/7/2013
प्रतिलिपि:-

1. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन, आई.डब्ल्यू.एम.पी.) निदेशालय जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
6. समस्त उप निदेशक, निदेशालय, जयपुर।

✓ ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने का श्रम करे।


23-7-13
(एम.एस. काला)
निदेशक